कोलंबिया का संविधान

ISBN: 978-81-999823-8-3

AUTHOR

ADV.GANESH SHRIRANG SATARKAR

(LL.M)

ADVOCATE, BOMBAY HIGH COURT

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

1. **BOOK TITLE : कोलंबिया का संविधान**
2. **LANGUAGE:** HINDHI
3. **ISBN: 978-81-999823-8-3**
4. **EDITION:** FIRST EDITION
5. **AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR**
6. **PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY** :-
7. **M/s. INDIAN FARMER AGRO CO. –** SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. **CONTACT DETAILS:**
   MOBILE: +91 7066766607 **EMAIL:** GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. **YEAR OF PUBLICATION:** 2026
10. **FORMAT:** SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. **PRICE (IN INDIA):** ₹ 10 /- (**Printed and Published in India)**

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.
Disclaimer:
This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

कोलंबिया संविधान अनुच्छेद – हिंदी

TITLE I (Art 1–10)

Art 1 – कोलंबिया एक सामाजिक, लोकतांत्रिक और एकात्मक राज्य है।

Art 2 – राज्य का उद्देश्य जनता की सेवा और अधिकारों की रक्षा है।

Art 3 – सम्प्रभुता जनता में निहित है।

Art 4 – संविधान सर्वोच्च कानून है।

Art 5 – व्यक्ति के मूल अधिकारों और परिवार की सुरक्षा।

Art 6 – नागरिक और अधिकारी कानून के प्रति उत्तरदायी हैं।

Art 7 – सांस्कृतिक विविधता की रक्षा।

Art 8 – प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा।

Art 9 – अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान।

Art 10 – स्पेनिश आधिकारिक भाषा है।

TITLE II (Art 11–95)

Fundamental Rights

Art 11 – जीवन का अधिकार।

Art 12 – यातना निषिद्ध।

Art 13 – समानता का अधिकार।

Art 14 – पहचान का अधिकार।

Art 15 – निजता का अधिकार।

Art 16 – व्यक्तित्व विकास की स्वतंत्रता।

Art 17 – दासता निषिद्ध।

Art 18 – विचार स्वतंत्रता।

Art 19 – धर्म की स्वतंत्रता।

Art 20 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

Art 21 – गरिमा का अधिकार।

https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2015

Art 22 – शांति का अधिकार।

Art 23 – याचिका का अधिकार।

Art 24 – आवागमन की स्वतंत्रता।

Art 25 – कार्य का अधिकार।

Art 26 – पेशा चुनने की स्वतंत्रता।

Art 27 – शिक्षा की स्वतंत्रता।

Art 28 – व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

Art 29 – विधिक प्रक्रिया (Due Process)।

Art 30 – Habeas Corpus अधिकार।

Art 31 – अपील का अधिकार।

Art 32 – अपराधी पकड़ने का अधिकार।

Art 33 – आत्मदोष से सुरक्षा।

Art 34 – आजीवन कारावास निषिद्ध।

Art 35 – प्रत्यर्पण नियम।

Art 36 – शरण का अधिकार।

Art 37 – सभा की स्वतंत्रता।

Art 38 – संघ बनाने का अधिकार।

Art 39 – ट्रेड यूनियन अधिकार।

Art 40 – राजनीतिक भागीदारी।

Art 41 – नागरिक शिक्षा अनिवार्य।

Social, Economic Rights

Art 42 – परिवार की सुरक्षा।

Art 43 – लैंगिक समानता।

Art 44 – बच्चों के अधिकार सर्वोपरि।

Art 45 – युवाओं का विकास।

Art 46 – बुजुर्गों की सुरक्षा।

Art 47 – विकलांगों की सहायता।

Art 48 – सामाजिक सुरक्षा।

https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2015

Art 49 – स्वास्थ्य का अधिकार।

Art 50 – बच्चों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा।

Art 51 – आवास का अधिकार।

Art 52 – खेल का अधिकार।

Art 53 – श्रम अधिकार।

Art 54 – रोजगार प्रशिक्षण।

Art 55 – सामूहिक सौदेबाजी।

Art 56 – हड़ताल का अधिकार।

Art 57 – श्रमिक भागीदारी।

Art 58 – संपत्ति का अधिकार।

Art 59 – युद्ध में संपत्ति अधिग्रहण।

Art 60 – संपत्ति लोकतंत्रीकरण।

Art 61 – बौद्धिक संपदा।

Art 62 – दान सुरक्षा।

Art 63 – सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा।

Art 64 – भूमि सुधार।

Art 65 – कृषि संरक्षण।

Art 66 – कृषि ऋण।

Art 67 – शिक्षा का अधिकार।

Art 68 – शिक्षा संस्थान स्वतंत्रता।

Art 69 – विश्वविद्यालय स्वायत्तता।

Art 70 – संस्कृति संरक्षण।

Art 71 – विज्ञान और कला प्रोत्साहन।

Art 72 – सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण।

Art 73 – पत्रकारिता स्वतंत्रता।

Art 74 – सार्वजनिक दस्तावेज़ अधिकार।

Art 75 – संचार संसाधन नियंत्रण।

Collective & Duties

Art 76 – पर्यावरण संरक्षण नीति।

Art 77 – मीडिया नियमन।

Art 78 – उपभोक्ता संरक्षण।

Art 79 – स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।

Art 80 – प्राकृतिक संसाधन संरक्षण।

Art 81 – खतरनाक पदार्थ नियंत्रण।

Art 82 – सार्वजनिक स्थान संरक्षण।

Art 83 – सद्भावना सिद्धांत।

Art 84 – प्रशासनिक सीमाएँ।

Art 85 – अधिकारों की तत्काल लागूता।

Art 86 – Tutela (त्वरित न्याय)।

Art 87 – कानूनी पालन हेतु कार्रवाई।

Art 88 – सामूहिक अधिकार सुरक्षा।

Art 89 – न्यायिक सुरक्षा उपाय।

Art 90 – राज्य की जिम्मेदारी।

Art 91 – अधिकारियों की जवाबदेही।

Art 92 – नागरिक शिकायत अधिकार।

Art 93 – अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मान्यता।

Art 94 – अप्रकट अधिकार भी मान्य।

Art 95 – नागरिक कर्तव्य।

TITLE III (Art 96–102)

Art 96 – नागरिकता के प्रकार।

Art 97 – नागरिकता त्याग/पुनःप्राप्ति।

Art 98 – नागरिक अधिकार।

Art 99 – मतदान अधिकार।

Art 100 – विदेशियों के अधिकार।

Art 101 – क्षेत्र निर्धारण।

Art 102 – प्राकृतिक संसाधन राज्य के हैं।

TITLE IV (Art 103–112)

Art 103 – लोकतांत्रिक भागीदारी साधन।

Art 104 – राष्ट्रपति जनमत।

Art 105 – स्थानीय जनमत।

Art 106 – प्रत्यक्ष लोकतंत्र।

Art 107 – राजनीतिक दल स्वतंत्रता।

Art 108 – दल मान्यता।

Art 109 – वित्तीय सहायता।

Art 110 – राजनीतिक दुरुपयोग निषिद्ध।

Art 111 – विपक्ष अधिकार।

Art 112 – विपक्ष सुरक्षा।

TITLE V (Art 113–120)

Art 113 – राज्य के तीन अंग।

Art 114 – संसद का कार्य।

Art 115 – राष्ट्रपति प्रमुख।

Art 116 – न्यायपालिका का कार्य।

Art 117 – नियंत्रण संस्थाएँ।

Art 118 – Public Ministry।

Art 119 – चुनाव आयोग।

Art 120 – प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था।

ARTICLE 121–250 (FULL ONE-LINE HINDI)

Continuation – State Structure & Legislature

Art 121 – कोई भी प्राधिकरण संविधान से बाहर शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।

Art 122 – सार्वजनिक पद पर नियुक्ति के लिए कानूनी शर्तें आवश्यक हैं।

Art 123 – सार्वजनिक सेवक संविधान और कानून के अधीन हैं।

Art 124 – अधिकारियों की जिम्मेदारी कानून द्वारा निर्धारित।

Art 125 – सार्वजनिक सेवा मेरिट आधारित होगी।

Art 126 – अधिकारियों द्वारा पक्षपात और नियुक्ति दुरुपयोग निषिद्ध।

Art 127 – सार्वजनिक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण।

Art 128 – एक व्यक्ति एक से अधिक सार्वजनिक पद नहीं रख सकता।

Art 129 – सैन्य बलों की राजनीतिक भागीदारी सीमित।

Art 130 – National Civil Service Commission की स्थापना।

Art 131 – नोटरी और रजिस्ट्री सेवाओं का नियमन।

TITLE VI – Legislature

Composition & Function

Art 132 – सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं।

Art 133 – सांसद सार्वजनिक हित में कार्य करेंगे।

Art 134 – सीट खाली होने पर प्रतिस्थापन प्रक्रिया।

Art 135 – कांग्रेस के विशेष अधिकार।

Art 136 – कांग्रेस पर कुछ प्रतिबंध लागू।

Sessions & Working

Art 137 – कांग्रेस के कार्य और नियम।

Art 138 – नियमित सत्र की अवधि।

Art 139 – विशेष सत्र बुलाने का अधिकार।

Art 140 – संयुक्त सत्र की प्रक्रिया।

Art 141 – कोरम और निर्णय प्रक्रिया।

Art 142 – संसदीय समितियों का गठन।

Art 143 – विपक्ष का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।

Laws (Statutes)

Art 150 – कांग्रेस कानून बनाती है और नीतियाँ तय करती है।

Art 151 – ऑर्गेनिक कानूनों की व्यवस्था।

Art 152 – संवैधानिक कानूनों (Statutory laws) का निर्धारण।

Art 153 – संवैधानिक कानून पारित करने की प्रक्रिया।

Art 154 – विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार।

Art 155 – नागरिकों द्वारा विधेयक प्रस्ताव।

Art 156 – विधायी प्रक्रिया का संचालन।

Art 157 – विधेयक पारित होने की आवश्यक शर्तें।

Art 158 – एक विधेयक एक विषय पर आधारित होगा।

Art 159 – विधेयक पर चर्चा के नियम।

Art 160 – बहस और संशोधन प्रक्रिया।

Art 161 – दोनों सदनों में मतभेद समाधान।

Art 162 – विधेयक की समय सीमा।

Art 163 – सरकार प्राथमिकता विधेयक ला सकती है।

Art 164 – विधेयक की वैधता अवधि।

Art 165 – राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन।

Art 166 – राष्ट्रपति की मंजूरी या आपत्ति प्रक्रिया।

Art 167 – वीटो और पुनर्विचार।

Art 168 – राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून लागू।

Art 169 – कानून का शीर्षक और स्वरूप।

Art 170 – जनमत द्वारा कानून निरस्त किया जा सकता है।

Senate

Art 171 – सीनेट का गठन राष्ट्रीय स्तर पर।

Art 172 – सीनेटरों की योग्यता।

Art 173 – सीनेट के विशेष कार्य।

House of Representatives

Art 176 – प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय आधार पर।

Art 177 – प्रतिनिधियों की योग्यता।

Art 178 – प्रतिनिधि सभा के कार्य।

https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2015

Members of Congress

Art 179 – अयोग्यता के आधार।

Art 180 – सांसदों पर प्रतिबंध।

Art 181 – हितों के टकराव से बचाव।

Art 182 – संपत्ति घोषणा आवश्यक।

Art 183 – सदस्यता समाप्ति के आधार।

Art 184 – Supreme Court द्वारा निर्णय।

Art 185 – सांसदों को विशेष संरक्षण।

Art 186 – गिरफ्तारी पर विशेष नियम।

Art 187 – सांसदों के वेतन और भत्ते।

TITLE VII – Executive (Partial continuation)

President & Executive

Art 188 – राष्ट्रपति राज्य प्रमुख है।

Art 189 – राष्ट्रपति के कार्य (प्रशासन, रक्षा)।

Art 190 – राष्ट्रपति का चुनाव।

Art 191 – राष्ट्रपति की योग्यता।

Art 192 – पद की शपथ।

Art 193 – जिम्मेदारी निर्धारण।

Art 194 – अभियोग प्रक्रिया।

Art 195 – विशेष अधिकार।

Art 196 – पुनः चुनाव नियम।

Art 197 – कार्यकाल सीमा।

Government

Art 198 – राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में व्यवस्था।

Art 199 – राष्ट्रपति के खिलाफ कानूनी सुरक्षा सीमित।

Art 200 – सरकार प्रशासनिक कार्य करती है।

Art 201 – रक्षा और सुरक्षा कार्य।

Vice President

Art 202 – उपराष्ट्रपति का पद।

Art 203 – उपराष्ट्रपति की भूमिका।

Art 204 – चुनाव और योग्यता।

Ministers

Art 205 – मंत्री राष्ट्रपति की सहायता करते हैं।

Art 206 – मंत्री प्रशासनिक कार्य संभालते हैं।

Art 207 – मंत्री की जिम्मेदारी।

Art 208 – मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह।

Administrative Function

Art 209 – प्रशासनिक सिद्धांत (दक्षता, पारदर्शिता)।

Art 210 – सार्वजनिक संस्थाओं का संगठन।

Art 211 – कार्यों का प्रत्यायोजन।

States of Exception

Art 212 – युद्धकालीन आपातकाल।

Art 213 – आंतरिक अशांति आपातकाल।

Art 214 – आपातकाल में अधिकार सुरक्षा।

Art 215 – आर्थिक आपातकाल।

Public Force

Art 216 – सेना और रक्षा व्यवस्था।

Art 217 – सशस्त्र बल संरचना।

Art 218 – पुलिस व्यवस्था।

Art 219 – सैन्य बल राजनीतिक रूप से निष्पक्ष।

https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2015

Art 220 – सेना का उपयोग सीमित।

Art 221 – सैन्य न्याय प्रणाली।

Art 222 – राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा।

Art 223 – हथियार नियंत्रण।

International Relations

Art 224 – संधियों की स्वीकृति।

Art 225 – अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

Art 226 – अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विकास।

Art 227 – क्षेत्रीय एकीकरण।

TITLE VIII – Judiciary (Start)

Art 228 – न्याय स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा।

Art 229 – न्याय तक पहुँच का अधिकार।

Art 230 – न्यायाधीश कानून के अनुसार निर्णय देंगे।

Art 231 – न्यायिक पद की योग्यता।

Art 232 – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता।

Art 233 – नियुक्ति और कार्यकाल नियम।

Art 234 – Supreme Court सर्वोच्च न्यायालय है।

Art 235 – Supreme Court के कार्य।

Art 236 – Council of State की भूमिका।

Art 237 – प्रशासनिक न्यायालय कार्य।

Art 238 – प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा।

Art 239 – Constitutional Court की संरचना।

Art 240 – न्यायाधीश चयन प्रक्रिया।

Art 241 – संविधान की रक्षा।

Art 242 – संवैधानिक याचिका प्रक्रिया।

Art 243 – संवैधानिक निर्णय अंतिम।

Art 244 – न्यायिक प्रक्रिया नियम।

Art 245 – विशेष न्यायालय।

Art 246 – आदिवासी न्याय प्रणाली।

Art 247 – सैन्य न्याय।

Art 248 – दंड अभिलेख प्रणाली।

Art 249 – Attorney General की नियुक्ति।

Art 250 – अभियोजन और जांच कार्य।

TITLE VIII – Judiciary (Continuation)

Art 251 – Attorney General के अतिरिक्त कर्तव्य निर्धारित।

Art 252 – अभियोजन सेवा के संगठन के नियम।

Art 253 – न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तें।

Art 254 – न्यायपालिका के प्रशासन के लिए परिषद (Council)।

Art 255 – न्यायिक परिषद के कार्य।

Art 256 – न्यायपालिका प्रशासन और अनुशासन।

Art 257 – न्यायिक प्रणाली का संगठन।

TITLE IX – Elections & Electoral System

Art 258 – मतदान स्वतंत्र, समान और गुप्त है।

Art 259 – मतदाता अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बना सकते हैं।

Art 260 – नागरिक चुनाव में भाग लेते हैं।

Art 261 – सार्वजनिक पदों का चुनाव नियम।

Art 262 – प्रतिनिधित्व प्रणाली का निर्धारण।

Art 263 – चुनावी प्रणाली (Proportional representation)।

Art 264 – राष्ट्रीय चुनाव परिषद (CNE)।

Art 265 – चुनाव आयोग के कार्य।

Art 266 – राष्ट्रीय रजिस्ट्रार चुनाव संचालित करता है।

TITLE X – Control Organs

Art 267 – Comptroller सार्वजनिक धन की निगरानी करता है।

Art 268 – Comptroller के अधिकार।

Art 269 – आंतरिक नियंत्रण प्रणाली।

Art 270 – नागरिकों की निगरानी में भागीदारी।

Public Ministry

Art 275 – Procurator General की नियुक्ति।

Art 276 – Procurator के कार्य।

Art 277 – सार्वजनिक हित की रक्षा।

Art 278 – अनुशासनात्मक अधिकार।

Art 279 – पद की स्वतंत्रता।

Art 280 – Deputy Procurator की भूमिका।

TITLE XI – Territorial Organization

Art 286 – क्षेत्रीय इकाइयाँ (Departments, Municipalities)।

Art 287 – स्वायत्तता अधिकार।

Art 288 – शक्तियों का वितरण।

Art 289 – सीमा क्षेत्रों का सहयोग।

Departments

Art 298 – विभागीय प्रशासन।

Art 299 – विभागीय विधानसभा।

Art 300 – विधानसभा के कार्य।

Art 301 – गवर्नर की भूमिका।

Art 302 – विभागीय अधिकार।

Municipalities

Art 311 – नगरपालिका प्रशासन की मूल इकाई।

Art 312 – नगर परिषद।

Art 313 – परिषद के कार्य।

Art 314 – मेयर का चुनाव।

Art 315 – मेयर के अधिकार।

Special Regime

Art 322 – Bogotá का विशेष दर्जा।

Art 323 – राजधानी प्रशासन व्यवस्था।

TITLE XII – Economic & Public Finance

Art 333 – आर्थिक स्वतंत्रता (राज्य नियंत्रण सहित)।

Art 334 – राज्य आर्थिक योजना बनाता है।

Art 335 – वित्तीय गतिविधियों का नियमन।

Development Plans

Art 339 – राष्ट्रीय विकास योजना।

Art 340 – योजना परिषद।

Art 341 – योजना स्वीकृति प्रक्रिया।

Budget

Art 345 – बिना कानून कोई व्यय नहीं।

Art 346 – बजट प्रस्तुति।

Art 347 – बजट की सामग्री।

Art 348 – बजट स्वीकृति।

Art 349 – बजट नियंत्रण।

Art 350 – सामाजिक व्यय प्राथमिकता।

Art 351 – संसाधन वितरण।

Distribution

Art 356 – संसाधनों का वितरण।

Art 357 – स्थानीय निकायों को हिस्सा।

Public Services

Art 365 – सार्वजनिक सेवाएँ राज्य की जिम्मेदारी।

Art 366 – सामाजिक कल्याण प्राथमिकता।

Art 367 – सेवा शुल्क निर्धारण।

Art 368 – सब्सिडी प्रावधान।

Central Bank

Art 371 – केंद्रीय बैंक स्वतंत्र संस्था।

Art 372 – बैंक प्रबंधन।

Art 373 – मुद्रा नीति नियंत्रण।

TITLE XIII – Constitutional Reform

Art 374 – संविधान संशोधन के तीन तरीके

Art 375 – संसद द्वारा संशोधन प्रक्रिया।

Art 376 – संविधान सभा द्वारा संशोधन।

Art 377 – जनमत (Referendum) द्वारा संशोधन।

Art 378 – जनमत संग्रह के नियम।

Art 379 – संशोधन की न्यायिक समीक्षा।

Art 380 – पुराने प्रावधान समाप्त।

संक्रमणकालीन प्रावधान (Transitional Provisions) – हिंदी में

Chapter I

अनुच्छेद 1 – 27 अक्टूबर 1991 को कांग्रेस के चुनाव कराए जाएंगे और कार्यकाल 1994 तक रहेगा।

अनुच्छेद 2 – संविधान सभा सदस्य और कुछ सरकारी अधिकारी चुनाव नहीं लड़ सकते।

अनुच्छेद 3 – नई कांग्रेस बनने तक पुरानी कांग्रेस कार्य नहीं करेगी।

अनुच्छेद 4 – नई कांग्रेस के सत्रों का प्रारंभिक समय निर्धारित किया गया।

अनुच्छेद 5 – राष्ट्रपति को विशेष असाधारण शक्तियाँ दी गईं (कानून, बजट, न्यायिक व्यवस्था हेतु)।

अनुच्छेद 6 – 36 सदस्यीय विशेष आयोग बनाया गया जो विधेयकों की समीक्षा करेगा।

अनुच्छेद 7 – सरकार का प्रतिनिधि इस आयोग में भाग लेगा।

अनुच्छेद 8 – मार्शल लॉ के आदेश 90 दिन तक प्रभावी रहेंगे।

अनुच्छेद 9 – विशेष शक्तियाँ आयोग समाप्त होने के 15 दिन बाद खत्म होंगी।

अनुच्छेद 10 – राष्ट्रपति के आदेशों को कानून का दर्जा मिलेगा।

अनुच्छेद 11 – नई कांग्रेस बनने पर विशेष शक्तियाँ और आयोग समाप्त होंगे।

अनुच्छेद 12 – गुरिल्ला समूहों के पुनर्वास हेतु विशेष चुनाव व्यवस्था।

अनुच्छेद 13 – सरकार पुनर्वास और क्षेत्रीय विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाएगी।

अनुच्छेद 14 – संसद अपने नियम बनाएगी, अन्यथा राज्य परिषद बनाएगी।

अनुच्छेद 15 – उपराष्ट्रपति का पहला चुनाव 1994 में होगा।

अनुच्छेद 16 – राज्यपालों का पहला प्रत्यक्ष चुनाव 1991 में होगा।

अनुच्छेद 17 – कुछ क्षेत्रों में राज्यपाल चुनाव बाद में होंगे।

अनुच्छेद 18 – राज्यपाल बनने के लिए अयोग्यता की शर्तें तय की गईं।

अनुच्छेद 19 – 1992 में चुने गए स्थानीय प्रतिनिधियों का कार्यकाल 1994 तक होगा।

Chapter II

अनुच्छेद 20 – सरकार 18 महीने तक प्रशासनिक ढांचे में सुधार कर सकती है।

अनुच्छेद 21 – सरकारी सेवाओं के नियम संसद बनाएगी, नहीं तो राष्ट्रपति बनाएंगे।

Chapter III

अनुच्छेद 22 – पहली संवैधानिक न्यायालय की स्थापना का प्रावधान।

अनुच्छेद 23 – राष्ट्रपति न्यायालय की कार्यप्रणाली तय करेंगे।

अनुच्छेद 24 – पुराने मामलों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा।

अनुच्छेद 25 – न्यायिक परिषद के सदस्यों की पहली नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे।

अनुच्छेद 26 – चल रहे मामलों को बिना बाधा जारी रखा जाएगा।

अनुच्छेद 27 – अटॉर्नी जनरल कार्यालय का गठन और न्यायिक सुधार।

अनुच्छेद 28 – पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से जुड़े पुराने नियम लागू रहेंगे।

अनुच्छेद 29 – न्यायाधीशों के पुनर्नियुक्ति प्रतिबंध नए चुनावों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद 30 – सरकार राजनीतिक अपराधों के लिए माफी दे सकती है।

Chapter IV

अनुच्छेद 31 – राष्ट्रीय चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन।

अनुच्छेद 32 – आयोग का अस्थायी विस्तार।

अनुच्छेद 33 – राष्ट्रीय रजिस्ट्रार का कार्यकाल निर्धारित।

अनुच्छेद 34 – चुनावी धन के दुरुपयोग रोकने हेतु अधिकारी नियुक्ति।

अनुच्छेद 35 – राजनीतिक दलों की मान्यता।

Chapter V

अनुच्छेद 36 – नियंत्रक और महाधिवक्ता पद पर बने रहेंगे।

अनुच्छेद 37 – पहला लोकपाल (Ombudsman) नियुक्त किया जाएगा।

Chapter VI

अनुच्छेद 38 – क्षेत्रीय योजना आयोग का गठन।

अनुच्छेद 39 – नए राज्यों के संगठन हेतु राष्ट्रपति को शक्तियाँ।

अनुच्छेद 40 – पहले बनाए गए नगर वैध रहेंगे।

अनुच्छेद 41 – राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष कानून।

अनुच्छेद 42 – कुछ द्वीप क्षेत्रों के लिए जनसंख्या नियंत्रण नियम।

Chapter VII

अनुच्छेद 43 – सरकार कर सुधार कर सकती है।

अनुच्छेद 44 – 1992 की वित्तीय स्थिति 1991 से खराब नहीं होगी।

अनुच्छेद 45 – नगरों को कर हिस्सेदारी दी जाएगी।

अनुच्छेद 46 – सामाजिक आपातकालीन निधि बनाई जाएगी।

अनुच्छेद 47 – हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा योजना।

अनुच्छेद 48 – सार्वजनिक सेवाओं पर कानून बनाए जाएंगे।

अनुच्छेद 49 – वित्तीय क्षेत्र के लिए कानून बनाने का प्रावधान।

अनुच्छेद 50 – जब तक कानून न बने, राष्ट्रपति नियम बनाएंगे।

अनुच्छेद 51 – केंद्रीय बैंक की अस्थायी व्यवस्था।

अनुच्छेद 52 – राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन।

अनुच्छेद 53 – संवैधानिक न्यायालय के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।

Chapter VIII

अनुच्छेद 54 – 1985 की जनगणना का उपयोग किया जाएगा।

अनुच्छेद 55 – अश्वेत समुदायों के भूमि अधिकार की मान्यता।

अनुच्छेद 56 – आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासनिक नियम।

अनुच्छेद 57 – सामाजिक सुरक्षा कानून के लिए आयोग।

अनुच्छेद 58 – सरकार अंतरराष्ट्रीय संधियों को मान्यता दे सकती है।

अनुच्छेद 59 – संविधान न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगा।

अनुच्छेद 60 – विकास योजना लागू करने के नियम।

अनुच्छेद 61 – विशेष आयोग का कार्यकाल।

अनुच्छेद 62 – राज्यपाल और महापौर के कार्यकाल का निर्धारण।

अनुच्छेद 63 – विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए कानून।

अनुच्छेद 64 – टीवी सेवाओं के नियमन के लिए कानून।

अनुच्छेद 65 – (अमान्य घोषित)।

अनुच्छेद 66 – संक्रमणकालीन न्याय (Transitional Justice) और शांति प्रक्रिया।

अनुच्छेद 67 – गंभीर अपराधियों को राजनीति में भाग लेने से रोकना।

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932